

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2024

विषय:- 'दिनांक 14 अगस्त, 2024 को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

गत वर्ष की भाँति अपनी मातृभूमि के उन परिवारों को नमन करते हुए जिन्हें भारत के विभाजन के दौर में अपने परिवारजन के प्राण न्यौछावर करने पड़े ऐसे लोगों की स्मृति में दिनांक 14 अगस्त, 2024 को **'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस'** मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. देश का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था। भारत के लाखों लोगों ने बलिदान देकर आजादी प्राप्त की थी, ऐसे समय पर देश का दो टुकड़ों में बँट जाने का दर्द लाखों परिवारों में एक गहरे जख्म की तरह घर कर गया है। इसी समय बंगाल का भी विभाजन हुआ। इसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था; जो कि सन् 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत के इस भौगोलिक बंटवारे ने देश के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मानसिक रूप से झकझोर दिया था। 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' हमें न सिर्फ भेद-भाव, वैमनस्य एवं दुर्भावना को खत्म करने की याद दिलायेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की प्रेरणा मिलेगी।

3. प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्षों की भाँति सम्पूर्ण प्रदेश में विभिन्न आयोजनों / कार्यक्रमों के साथ दिनांक 14 अगस्त, 2024 को "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" के अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में कराये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नवत् है :-

- विभाजन विभीषिका के दौरान विस्थापित परिवारों के सदस्यों को आमंत्रित किया जाये एवं उनके साथ त्रासदी के दौरान प्राणोत्सर्ग करने वाले लोगों की याद में दो मिनट की मौन श्रद्धांजली दी जाए।
- प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थलों पर बारिश की संभावना देखते हुए किसी बड़े सभागार में विभाजन विभीषिका से संबंधित अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया जाये जिसमें तत्कालीन घटनाक्रम के फोटो, अखबारों की कतरनें, साहित्य, राजकीय अभिलेख, विस्थापित परिवारों की संरक्षित सामग्री आदि का प्रदर्शन किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- अभिलेख प्रदर्शनी सम्बन्धित सामग्री उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा सॉफ्ट कापी के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।
- उक्त स्थल पर विभाजन विभीषिका से प्रभावित विस्थापित परिवारों को भी प्रदर्शनी स्थल पर आने के लिए अनुरोध किया जाये। जिससे वे अपने परिवार पर बीते कष्टों को शेयर कर सकें।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 'भारत-पाकिस्तान विभाजन विभीषिका' से जुड़ी हुई फिल्मों / डाक्यूमेंट्री का विद्यालयों/महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में एवं प्रदर्शनी स्थल पर प्रदर्शन किया जाये। इन प्रदर्शनियों में बारी-बारी से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों का भ्रमण कराया जाये एवं उन्हें इस ऐतिहासिक घटना के प्रति संवेदनशील व जागरूक किया जाये।
- स्थानीय प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं के सहयोग से सन 1947 में 'भारत-पाकिस्तान विभाजन विभीषिका' से जुड़ी हुई पुस्तकों की प्रदर्शनी लगायी जाये।
- उक्त कार्य में विभिन्न सामाजिक व गैर सरकारी संगठनों जैसे सिंधी काउंसिल आफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सिंधी सभा, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, सनातनी पंजाबी महासभा आदि का सहयोग भी लिया जाये।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम कराते हुए इसकी सूचना संस्कृति विभाग के लिंक <https://culturalevent.in> पर अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।